न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 449/18
निर्णय दिनांक: 07.05.2018

1. गोरधन पुत्र जमनालाल जाति कुमावत नि0 बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र जमनालाल जाति कुमावत नि0 बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खं0नं0 62/1 रकबा 11 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 63 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 8 विस्व वाकै ग्राम चन्द्रपुरा प0ह0 बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी 1/18 खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी वादी के नाम अंकित है तथा उपयोग उपभोग वादी करता आ रहा है व काबिज काश्त है जिसमें वादी 1/18 हिस्सा है। पेरा नं0 1 में वर्णित आराजी का वादी शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा है प्रतिवादी का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादी वादी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बेदखल करना चाहता है जबकि प्रतिवादी का उक्त पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। विवादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी दिनांक 01.08.16 को वादी की पेरा नं0 1 में वर्णित भूमि पर नाजायज कब्जा करने के आशय से भाड़े के 10–15 आदमियों के साथ आये तथा वादी की खातेदारी की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की धमकी दी की हम तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेगे ओर तुझें मौके से बेदखल करेगे वादी ने प्रतिवादी को कब्जा करने से मना किया तो प्रतिवादी ने वादी को जान से मारने की धमकी दी इसलिए वादी को अपनी सहमति की रक्षार्थ व हितार्थ यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से वकील श्री रूपनारायण कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी की ओर से प्रा0पत्र आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 जा0दी0 का प्रा0पत्र पेश किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय

ड अधिकारी
र लेक

Scanned by CamScanner

आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र बोबास में पेश हुयी। वादी को सुना गया। प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2071–74 वाकै चन्दनपुरा प0ह0 बोबासू पेश की है।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी खं0नं0 62/1 रकबा 11 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 63 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 8 विस्व। वाकै ग्राम चन्द्रपुरा प0ह0 बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर में वादी 1/18 हिस्सें के कब्जें काश्त से व मौके से बेदखल नहीं करे तथा कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मजामत नहीं करें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प बोबास मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

गोरधन बनाम देवीलाल वगै0

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 449/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लक्ष्मीकांत दाधीच व हाजरी श्री रूपनारायण कुमावत मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी खं0नं0 62/1 रकबा 11 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 63 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 8 विस्व वाकै ग्राम चन्द्रपुरा प0ह0 बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर में वादी 1/18 हिस्सें के कब्जें काश्त से व मौके से बेदखल नहीं करे तथा कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मजामत नहीं करें। ....निज .... खर्चा इस मुकदमे के मुबलिग.................. बाबत्.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से मय सूद बशरह.................. तारीख अदायगी तक..................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत........

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner